घरेलू चेक/लिखतों के संग्रहण पर नीति

Policy on Collection of Domestic Cheques/instruments

2022-23



परिचालन एवं सेवा विभाग OPERATION AND SERVICE DEPARTMENT यूको बैंक, प्रधान कार्यालय UCO BANK, HEAD OFFICE 10, विसरणी .म.त्रै., कोलकाता-700001 10, BTM SARANI, KOLKATA-700001

केवल आंतरिक परिचालन हेतु For Internal Circulation Only

Policy on Collection of Domestic Cheques/instruments 2022-23

1. PREAMBLE

Keeping in view the technological progress in payment and settlement systems and the qualitative changes in operational systems and processes that have been undertaken by a number of banks, the Reserve Bank of India had, with effect from 1st November 2004, withdrawn its earlier instructions to commercial banks on (i) Immediate Credit of local/outstation cheques, (ii) Time Frame for Collection of Local/Outstation Instruments and (iii) Interest Payment for Delayed Collection.

The withdrawal of these mandatory guidelines was expected to enable market forces of competition to come into play to improve efficiencies in collection of cheques and other instruments. The withdrawal of RBI instructions to Banks on time frame and payment of interest has offered bank further opportunity for increasing efficiency.

This Policy brings out the obligations of the bank to the customers and the rights of the customers on collection of local/outstation cheques/instruments and related issues.

1.1 POLICY OBJECTIVES

This collection policy of the Bank is a reflection of our on-going efforts to provide better service to our customers and set higher standards for performance. The policy is based on principles of transparency and fairness in the treatment of customers. The branches are committed to increased use of technology to provide quick collection services to its customers. This policy document covers the following broader aspects:

- Collection of cheques and other instruments (including Speed Clearing) payable locally, at centres within India.
- Immediate credit of cheques (Instant credit facility).
- Our commitment regarding time norms for collection of instruments.
- Payment of interest in cases where the bank fails to meet time norms for realization of proceeds of outstation instruments.
- Dealing with collection of instruments lost in transit.
- Dealing with frequent dishonour of cheques.
- Remedial action during suspension of clearing.

घरेलू चेक/लिखतों के संग्रहण पर नीति 2022-23

1. प्रस्तावना

भुगतान और निपटान प्रणाली में तकनीकी प्रगति और कई बैंकों द्वारा अपनाई गई परिचालन प्रणाली और प्रक्रियाओं में गुणात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखते हए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 नवंबर 2004 से वाणिज्यिक बैंकों से अपने निम्नलिखित पूर्व अनुदेशों को वापस ले लिया है -(i) स्थानीय/बाहरी चेकों को तत्काल क्रेडिट करना, (ii) स्थानीय/बाहरी लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा और (iii) देर से संग्रहण के कारण ब्याज का भुगतान।

इन अधिदेशात्मक दिशानिर्देशों को वापस लेने से ऐसी अपेक्षा थी कि प्रतिस्पर्धी बाजार पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से चेक और अन्य लिखितों के संग्रहण में कुशलतापूर्वक सुधार लाने में सक्षम हो सके। निर्धारित समय सीमा और ब्याज के भुगतान पर बैंकों को जारी आरबीआई के निर्देशों के वापस लेने से बैंक को दक्षता बढ़ाने के लिए पहले से ज्यादा अवसर प्राप्त हुए है।

यह नीति ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों और स्थानीय/बाहरी चेकों/लिखत संग्रहण और इससे संबंधित मुद्दों पर ग्राहकों के अधिकारों को सामने लाती है।

1.1 नीति के उद्देश्य

बैंक की यह नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और हमारे कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक स्थापित करने के हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है। यह नीति ग्राहकों के साथ बर्ताव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखाएं तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस नीति के दस्तावेजों में निम्नलिखित व्यापक पहलू शामिल हैं:

- भारत में स्थित केंद्रों पर स्थानीय रूप से देय चेक और अन्य लिखतों (तुरंत समाशोधन सिहत) की जमा।
- चेकों का तत्काल जमा (तत्काल जमा स्विधा)।
- लिखतों के संग्रहणों के लिए समय मानदंडों के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता ।
- ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान जहाँ बैंक बाहरी लिखतों की उगाही के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में असफल हो।
- पारगमन में खोये हुए लिखतों के संग्रहण से निपटना।
- बार-बार चेक का अस्वीकृत होना।
- समाशोधन स्थगन के दौरान सुधारात्मक उपाय।

2. Arrangements for Collection:

2.1. Cheque Drop Box Facility

Both the drop box facility and the facility for acknowledgement of the cheques at regular collection counters should be available to the customers and no branch should refuse to give on acknowledgement if the customer tenders the cheques at the counters.

Branches should ensure that customers are not compelled to drop the cheques in the drop-box. Further, in the context of customer awareness in this regard, banks should invariably display on the cheque drop-box itself that "Customers can also tender the cheques at the counter and obtain acknowledgment on the pay-in-slips". The above message is required to be displayed in English, Hindi and the regional language of the State concerned.

Branches are also advised to make absolutely full proof arrangements while accounting for the number of instruments each time the box is opened so that there are no disputes and the customer's interests are not compromised.

Cheque Drop Box should be designed and operated in a manner that nobody other than the authorized person is able to take out cheques from the drop box.

Cheque Drop Boxes to be always kept locked.

2.2 Local Cheques

All **CTS Compliant** cheques and other Negotiable Instruments payable locally would be presented through the clearing system prevailing at the centre. Cheques deposited at branch counters and in collection boxes within the branch premises before the specified cut-off time will be sent for clearing on the same day. Cheques deposited after the cut-off time and in collection boxes outside the branch premises including on-site ATMs will be sent in the next clearing cycle. As a policy, branches would give credit to the customer account on the same day clearing settlement takes place. Withdrawal of amounts so credited would be permitted on 2nd day or 3rd day as per the cheque return schedule of the clearing house. Wherever applicable, facility of high-value clearing (same day credit) will be extended to customers.

Cheques drawn on CBS branches will be credited in the customer's account at UCO Bank on the same day. In case of cheques deposited in loans and advances accounts including term loan, value date credit will be given on day one or day two as the case maybe (i.e., the day on which settlement of the bank with RBI/SBI is done depending on clearing cycle at the place) for the purpose of calculation of products for application of interest, so that the customer gains interest benefits simultaneously on the amount debited to his/her deposit account. In case of immediate credit afforded as per para 2.4 below and withdrawal on or before day two or day three shall be treated as withdrawal against effects and applicable interest shall be charged for said intervening days between withdrawal and actual credit to the account.

2. संग्रहण की व्यवस्था:

2.1. चेक ड्रॉप बॉक्स सुविधा

ग्राहकों के लिए ड्रॉप बॉक्स सुविधा और नियमित कलेक्शन काउंटरों पर चेक पावती की सुविधा दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और यदि ग्राहक काउंटरों पर चेक जमा करता है तो कोई भी शाखा पावती देने से मना नहीं कर सकती।

शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि ग्राहकों को चेक को ड्रॉप-बॉक्स में डालने के लिए बाध्य न किया जाए। इसके अलावा ,इस संबंध में ग्राहक जागरूकता के लिए, बैंक हमेशा चेक ड्रॉप-बॉक्स पर ऐसा लिखा हुआ प्रदर्शित करें कि" ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और पे-इन-स्लिप पर पावती ले सकते हैं"। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त संदेश को अंग्रेजी ,हिंदी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।

शाखाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि हर बार, जब भी पेटी(बक्सा) खोली जाए, लिखतों की संख्या का लेखा-जोखा करते समय पूरी तरह से चाक चौबंद (फुलप्रूफ) व्यवस्था की जाए, ताकि कोई विवाद न हो और ग्राहकों के हितों से समझौता न होने पाए।

चेक ड्रॉप बॉक्स को इस तरह से तैयार और परिचालित किया जाये जिससे अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी ड्रॉप बॉक्स से चेक न ले सके।

चेक ड्रॉप बॉक्स हमेशा बंद रखें।

2.2 स्थानीय चेक

सभी सीटीएस सम्मत चेक और स्थानीय रूप से देय अन्य परक्राम्य लिखत केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। निर्दिष्ट कट-ऑफ समय से पहले शाखा काउंटरों और शाखा परिसर के भीतर कलेक्शन बक्से में जमा किए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए भेजे जाएंगे। कट-ऑफ समय के बाद जमा किए गए चेक और ऑन-साइट एटीएम सिहत शाखा परिसर के बाहर कलेक्शन बॉक्स में जमा किए चेक अगले समाशोधन चक्र में भेजे जाएंगे। बैंक पॉलिसी के तहत ,शाखाएं समाशोधन प्रक्रिया के बाद तुरंत ग्राहक के खाते में उसी दिन धन राशि जमा कर देंगी। इस प्रकार जमा राशि की निकासी समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) से चेक वापसी शेड्यूल के अनुसार दूसरे दिन या तीसरे दिन हो सकेगी। जहां कहीं प्रयोज्य हो, ग्राहकों को उच्च मूल्य समाशोधन (उसी दिन क्रेडिट) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

यूको बैंक की सीबीएस शाखाओं पर आहरित चेक उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। ऋणों और अग्रिम खातों में जमा किए गए चेक के संबंध में प्रोडक्ट पर ब्याज लगाने हेतु परिगणना के प्रयोजनार्थ, उसी दिन या दूसरे दिन वैल्यू डेट क्रेडिट कर दी जाएगी (अर्थात जिस दिन बैंक का आरबीआई /एसबीआई से समाशोधन निपटान हुआ हो, उस जगह पर हुए समाशोधन चक्र पर निर्भर करता है) तािक ग्राहक अपने जमा खाते में नामे की गई रािश पर एक साथ ब्याज लाभ उठा सकें।

Bank branches situated at centres where no clearing house exists, would present local cheques on drawee banks across the counter and it would be the bank's endeavour to credit the proceeds at the earliest.

The cheques received up to cut-off time shall be sent on the same day to the local clearing house. The cut-off time shall be displayed by each branch across their counters and also on the drop box placed inside the branch premises. For High Value clearing and for credit to Govt. Accounts like Income Tax etc., a similar cut-off time notice to be displayed.

2.3 Outstation Cheques

In case of non-CBS environment/Non-Networked Centres, cheques (legend "CBS" missing on the cheque) drown on other banks at outstation centres will normally be collected through bank's branches at those centres. Where the bank does not have a branch of its own, the instrument would be directly sent for collection to the drawee bank or collected through a correspondent bonk. The bank would also use the Notional Clearing Services offered by the Reserve Bank of India at centres where such collection services exist.

RBI has introduced Speed Clearing Service at the identified centres for settlement of payments of outstation cheques drawn on Core Banking enabled branches through local clearing at the identified centre where the cheque(s) is lodged by a customer. Since our Bonk has rolled over to 100% CBS, we shall provide the Speed Clearing Service at the identified centres where we have our presence. It will facilitate collection of cheques drawn on outstation core banking enabled branches of member Banks if they have a networked branch at the centre on which the outstation cheque is drawn.

Cheques drawn on bank's own branches at outstation centres will be collected using the inter sol arrangement in vogue. As our branches are connected through a centralized processing arrangement and we are offering "Anywhere Banking Services" to our customers, same day credit to the customers will be effected in respect of outstation instruments drown on any other bank whose outstation branch is also under CBS network and participating in the Local Clearing House.

2.4 Positive Pay System (PPS)

To further augment customer safety in cheque payments and reduce instances of fraud occurring on account of tampering of cheque leaves, it has been decided to introduce a mechanism of Positive Pay for all cheques of value Rs. 50,000 and above. Under this mechanism, cheques will be processed for payment by the drawee bank based on information passed on by its customer at the time of issuance of cheque.

नीचे दिए गए पैरा 4.2 के अनुसार तत्काल जमा के मामले में और दूसरे या तीसरे दिन या उससे पहले धन निकासी को प्रभावी होने से पूर्व निकासी के रूप में मान लिया जाएगा और खाते में निकासी और वास्तव में जमा होने के बीच के दिनों के लिए लागू ब्याज लगाया जाएगा।

जिन केंद्रों पर कोई समाशोधन गृह नहीं है, वहां बैंक शाखाएं अदाकर्ता बैंकों को अपने काउंटर पर ही स्थानीय चेक देंगी और बैंक का प्रयास होगा कि प्राप्य को जल्द से जल्द जमा कर दिया जाए।

कट-ऑफ समय तक प्राप्त चेक उसी दिन स्थानीय समाशोधन गृह को भेजे जाएंगे। कट-ऑफ समय का प्रदर्शन प्रत्येक शाखा द्वारा अपने काउंटरों पर और शाखा परिसर में रखे ड्रॉप बॉक्स पर भी किया जाएगा। उच्च मूल्य समाशोधन के लिए और सरकार के खाते, जैसे आयकर आदि, में जमा किए जाने हेतु एक समान कट-ऑफ समय की सूचना प्रदर्शित की जाए।

2.3 बाहरी चेक

गैर-सीबीएस कार्यप्रणाली/ गैर-नेटवर्क केंद्रों के संबंध में , उन चेकों को जो (चेक पर "सीबीएस" दर्ज न हो) बाहरी केंद्रों पर अन्य बैंकों के लिए आहारित किएगए है , आमतौर पर उन केंद्रों पर बैंक की शाखाओं के जिए संगृहीत किए जाएंगे। जहां बैंक की अपनी कोई शाखा नहीं है ,वहां लिखत सीधे अदाकर्ता बैंक के पास संग्रहण हेतु भेजे जाएंगे या एक करोस्पोंडेंट बैंक के माध्यम से संग्रहीत किए जाएंगे। उन केंद्रों पर जहां ऐसे कलेक्शन सेंटर न हों, वहां बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली नोशनल समाशोधन सेवाओं का भी उपयोग करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोर बैंकिंग सक्षम शाखाओं के नाम आहरित बाहरी चेकों के भुगतान के निपटान के लिए अभिचिन्हित केंद्रों पर स्पीड क्लियरिंग सेवा की शुरुआत की है, जहां ग्राहक द्वारा चेक प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि हमारा बैंक पूर्णत: सीबीएस हो गया है, इसलिए हम उन चिन्हित केंद्रों पर जहाँ हमारी उपस्थिती है वहाँ स्पीड क्लियरिंग सेवा की सुविधा देंगे। इससे, सदस्य बैंकों की बाहरी कोर बैंकिंग सक्षम शाखाओं पर आहरित चेकों के संग्रहण की सुविधा होगी बशर्ते उसी जगह शाखा नेटवर्क सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ बाहरी चेक जमा किया गया हो।

बाहरी केंद्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेक की वसूली प्रचलित इंटरसोल का उपयोग करके की जाएगी। चूंकि हमारी शाखाएं एक केंद्रीकृत प्रक्रिया व्यवस्था के जिरए जुड़ी हुई हैं और हम अपने ग्राहकों को" कहीं भी बैंकिंग सेवाएं "की पेशकश कर रहे हैं, अतएव किसी अन्य बैंक पर आहरित बाहरी लिखतों को उसी दिन ग्राहकों को क्रेडिट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि बाहरी शाखा भी सीबीएस नेटवर्क के अंतर्गत आती हो और स्थानीय समाशोधन गृह का हिस्सा हो।

2.4 पोजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस)

चेक भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए व चेक के पन्नों से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए, रुपये 50,000 और उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पोसिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत ,चेक जारी करते समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अदाकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक को संसाधित(प्रोसेज) किया जाएगा।

- 2.4.1 The concept of Positive pay involves a process of reconfirming key details of large value cheques. Under this process, the issuer of the cheque submits electronically, through channels like SMS, mobile app, internet banking, ATM, etc. or through branch, certain minimum details of that cheque (like date, name of the beneficiary / payee, amount, etc.) to the drawee bank, details of which are cross checked with the presented cheque by CTS. Any discrepancy is flagged by CTS to the drawee bank and presenting bank, who would take redressal measures.
- 2.4.2 PPS has been developed by NPCI and made available to bank. It is enabled for all account holders issuing cheques for amounts of Rs. 50,000 and above. While availing of this facility is at the discretion of the account holder for cheque for amounts of Rs. 50,000 and above. However, bank has made it mandatory in case of cheques for amounts of Rs. 5,00,000 and above.
- 2.4.3 Only those cheques which are compliant with the instructions mentioned in points 2.4.1 and 2.4.2 will be accepted under dispute resolution mechanism at the CTS grids. Bank is creating adequate awareness among their customers on features of Positive Pay System through SMS alerts, display in branches, ATMs as well as through their web-site and internet banking.

2.5 Immediate Credit of Local/ Outstation Cheques/Instruments.

Branches/extension counters of the bank will provide immediate credit for outstation cheques/instruments up to the aggregate value of Rs. 15000/- (upto Rs.25000/- in respect of Demand Drafts/Pay Orders/Interest/Dividend warrants drawn on our Bank/Branches and cheques issued by Govt. undertakings tendered for collection by individual account holders subject to satisfactory conduct of such accounts for a period not less than 6 months. Immediate credit will be provided against such collection instruments at the request of the customer or as per prior arrangement. The facility of immediate credit would also be made available in respect of local cheques at centres where no formal clearing house exists.

The facility of immediate credit will be available to individual account holders only and shall be offered in Savings Bank/Current/Cash Credit Accounts of the customers. For extending this facility there will not be any separate stipulation of minimum balance in the account. However, separate pay-in-slip (DS-2A) may be used for the purpose of immediate credit of outstation/local cheques.

2.5.1 Charging of Interest on cheques returned unpaid where Instant Credit was given.

If a cheque is sent for collection for which immediate credit was provided by the bank and it is returned unpaid, the value of the cheque will be immediately debited to the account. The customer will not be charged any interest from the date immediate credit was given to the date of return of the instrument unless the bank had remained out of funds on account of withdrawal of funds. Interest where applicable would be charged on the notional overdrawn balances in the account, had credit not been given initially.

- 2.4. 1 पोसिटिव पे सिस्टम की अवधारणा में वृहद मूल्य के चेकों के प्रमुख ब्यौरों की फिर से पृष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत चेक जारीकर्ता एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे चैनलों के माध्यम से या शाखा के माध्यम से उस चेक के कुछ न्यूनतम ब्यौरों (जैसे तिथि, लाभार्थी/ प्राप्तकर्ता का नाम, राशि आदि) अदाकर्ता बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजता है जिसके ब्यौरे सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक से क्रॉस चेक किया जाता है। कोई भी विसंगति पाए जाने पर सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जिससे सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकें।
- 2.4. 2 पीपीएस को एनपीसीआई द्वारा विकसित करके बैंक को उपलब्ध कराया गया है। यह उन सभी खाताधारकों के लिए उपलब्ध है जो रुपये 50000 और उससे अधिक की राशि के चेक जारी करते हैं। 50000 या इससे अधिक की चेक की राशि से मिलने वाली इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के स्विववेक पर निर्भर है। हालांकि, बैंक ने रुपये 5,0000 और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य कर दिया है।
- 2.4. 3 केवल वहीं चेक सीटीएस ग्रिड में विवाद समाधान प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जाएंगे जो अंक 2.4.1 और 2.4.2 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हों। अपने ग्राहकों के बीच एसएमएस अलर्ट, शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेब साइट और इंटरनेट बैंकिंग के जिरए पॉजिटिव पे सिस्टम की खास बातों के बारे में शाखा में जानकारी प्रदर्शित करते हुए बैंक पर्याप्त जागरूकता सुनिश्चित करें।

2.5 स्थानीय/ बाहरी चेकों/ लिखतों का तत्काल जमा

बैंक की शाखाएं/विस्तार पटल पर वैयक्तिक खाताधारकों द्वारा वसूली के लिए आए बाहरी चेकों/लिखतों के लिए रुपये 15000/- (हमारे बैंक/शाखाओं पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/ब्याज/लाभांश वारंट के संबंध में तथा सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी चेक के संबंध में रुपये 25000/- तक) का तत्काल जमा करेंगी बशर्ते कि ऐसे खातों को कम से कम 6 महीने की अविध के लिए संतोषजनक ढंग से परिचालित किया गया हो। ग्राहक के अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे संग्रहित लिखतों के एवज में तत्काल क्रेडिट सुविधा मुहैया कराया जाएगी। स्थानीय चेक के संबंध में तत्काल जमा की सुविधा उन केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी जहाँ कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद न हो।

तत्काल जमा की सुविधा केवल वैयक्तिक खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी जो ग्राहकों के बचत बैंक/चालू/नकदी अग्रिम खातों में मुहैया कराई जाएगी। इस सुविधा के विस्तार के लिए खाते में न्यूनतम राशी होने की अलग से कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा, बाहरी/स्थानीय चेकों को तत्काल जमा करने के प्रयोजनार्थ अलग भुगतान पर्ची (पे-इन-स्लिप) (डीएस-2ए) का उपयोग किया जा सकता है।

2.5.1 बिना भुगतानके लौटाए गए चेकों पर प्रभार लगाया जाना, जहां तत्काल जमा सुविधा है। यदि कोई चेक उगाही के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट सुविधा दी गयी थी और जिसे बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, तो चेक की राशी खाते से तुरंत नामे कर दी जाएगी। ग्राहक से चेक वापसी की उस तारीख तक कोई ब्याज तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक कि निधियों के आहरण के चलते बैंक की निधियां खत्म हो गई हों। जहां प्रयोज्य हो, ऐसे खाते में, जहां शुरू में क्रेडिट न किया गया हो, वहां आनुमानिक अतिदेय (नोशनल ओवरड्रान बैंलेंस) शेष खाते पर ब्याज लगाया जाएगा।

If the proceeds of the cheque were credited to the Savings Bank Account and were not withdrawn, the amount so credited will not qualify for payment of Interest when the cheque is returned unpaid. If proceeds were credited to an overdraft/loan account, interest shall be recovered at the rate of 2% p.a. above the Interest rate applicable to the overdraft/loan from the date of credit to the date of reversal of the entry If the cheque/instrument was returned unpaid to the extent the bank was out of funds.

2.5.2 Satisfactorily conducted account: -

- a) It should have been opened at least 6 months earlier and complying with KYC norms.
- b) Conduct of the account has been satisfactory and bank has not noticed any Irregular dealings.
- c) Where no cheque / Instrument for which immediate credit was afforded, returned unpaid for financial reasons.
- d) Where the bank has not experienced any difficulty in recovery of any amount advanced in the past including cheques returned after giving immediate credit. The total amount of all such cheques credited to the account but not realized should not exceed the maximum limit prescribed for immediate credit. In other words, total exposure of the Bank in respect of unrealized cheques credited to the account should not exceed the maximum limit (Rs.15,000 to Rs.25,000 as the case may be).

In the event of dishonour of cheque against which immediate credit was provided. interest shall be recoverable from the customer for the period the bank remained out of funds, (i.e., from the date of immediate credit till day before credit afforded to the bank) at the rate applicable for overdraft limits sanctioned for Individual customers.

Bank shall levy normal collection charges and out of pocket expenses as service charges while providing immediate credit against outstation Instruments tendered for collection. Exchange charges applicable for cheque purchase will not, however be charged.

2.6 Purchase of local/outstation cheques.

A flat service charge of Rs.50/- per instrument shall be levied for extending immediate credit (up to a maximum amount of Rs. 15,000/Rs.25000/- as per the Policy) for local cheques received for purchase. For outstation cheques bank will be collecting the collection charges in vogue.

2.6.1. Purchase of Local Cheques, Drafts etc. during suspension of Clearing.

There may be occasions when Clearing House operations may have to be temporarily suspended for reasons beyond the control of the authorities concerned. Such suspension entails hardship to the constituents because of their Inability to realize promptly the proceeds of cheques, drafts, etc., drawn on the local banks other than those with whom they maintain accounts. Some remedial action has to be taken during such contingencies to minimise, as far as possible, the inconvenience and hardship to the constituents as also to maintain good customer service.

जब चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया जाता है और यदि चेक की आगम राशि बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई हो और निकाली न गई हो, ऐसी जमा राशि ब्याज भुगतान के लिए योग्य नहीं होगी। यदि आगमों को ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा कर दिया गया हो तो ओवरड्राफ्ट/ऋण पर 2% सालाना की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी, ऐसे ओवरड्राफ्ट/ऋण खातों पर लागू ब्याज दर जमा होने की तारीख से प्रत्यावर्तन (रिवर्सन) की तिथि तक दिया जाएगा बशर्ते कि बैंक में निधियां न होने की सीमा तक चेक/लिखत बिना भुगतान के लौटा दिया गया हो।

2.5.2 संतोषजनक ढंग से परिचालित खाता -

- क) यह कम से कम 6 महीने पहले खुला हुआ हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो।
- ख) खाते का संचालन संतोषजनक ढंग से हो रहा है और बैंक में कोई अनियमित लेन देन नहीं हुआ है। ग) जब तत्काल क्रेडिट कोई भी चेक/लिखत वित्तीय कारणों के चलते बिना भुगतान के लौटा दिया गया हो। घ) तत्काल जमा करने के बाद लौटाए गए चेक सहित पूर्व में दी गई किसी भी राशि की वसूली में बैंक को कोई कठिनाई नहीं हुई है। ऐसे सभी चेकों की कुल राशि जो खाते में जमा हो जाती है लेकिन वसूल नहीं की जाती है, तत्काल जमा करने के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, खाते में जमा किए गए अप्राप्त चेकों के संबंध में बैंक का कुल एक्सपोजर अधिकतम सीमा (रु.15,000 से रु.25,000 जैसा भी मामला हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऐसे चेक के अस्वीकृत होने की स्थित में जिसके लिए तत्काल क्रेडिट दिया गया हो, ग्राहक से उस अविध हेतु (अर्थात बैंक को मिले क्रेडिट से पहले वाली तिथि तक तत्काल क्रेडिट होने की तिथि तक) ब्याज वसूला जाएगा जो कि वैयक्तिक ग्राहकों हेतु स्वीकृत ओवरड्राफ्ट सीमा हेतु प्रयोज्य ब्याज दर पर बैंक निधियों में से बाकी रह गया हो।

संग्रहण हेतु प्रस्तुत बाहरी लिखतों के एवज में तत्काल क्रेडिट मुहैया कराते समय बैंक वसूली के लिए लागू न तो सामान्य संग्रहण प्रभार लेगा और न ही सेवा प्रभार के रूप में आउट ऑफ पॉकेट प्रभार लगाएगा। इसके अलावा, चेक क्रय के लिए लागू विनिमय शुल्क नहीं लिया जाएगा।

2.6 स्थानीय/बाहरी चेकों की खरीद

खरीद के लिए प्राप्त स्थानीय चेकों के लिए तत्काल क्रेडिट (निर्धारित नीति के अनुसार रु .15,000/ रु.25000/- की अधिकतम राशि तक) सुविधा प्रदान करने के लिए प्रति लिखत रु.50/- का समान सेवा शुल्क लगाया जाएगा। बाहरी चेकों के लिए बैंक प्रचलित वसूली शुल्क लगाएगा।

2.6.1. समाशोधन निलंबन के दौरान स्थानीय चेक ,ड्राफ्ट आदि की खरीद

कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जब समाशोधन गृह परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ जाए और हालात संबंधित अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर हों। ऐसे निलंबन से ग्राहकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे उन लोगों की अपेक्षा जिनके साथ खाता हो, अन्य स्थानीय बैंकों से प्राप्त चेक, ड्राफ्ट आदि के आगमों को तुरंत प्राप्त करने में खुद को असमर्थ पाते हैं।

Thus, whenever clearing is suspended and it is apprehended that the suspension may be prolonged, branches may temporarily accommodate their constituents, both borrowers and depositors, to the extent possible by purchasing the local cheques, drafts, etc., deposited in their accounts for collection, special consideration being shown in respect of cheques drawn by Government departments/companies of good standing and repute, as also demand drafts drawn on local banks. While extending this facility, branches would no doubt take into consideration such factors as creditworthiness, integrity, past dealings and occupation of the constituents, so as to guard themselves against any possibility of such instruments being dishonoured subsequently. Limit on purchase of Local cheques at the time of suspension of clearing house operations should be as per the existing provision for instant credit i.e. Rs 15000/25000 as the case may be.

2.7. Collection of A/c Payee Cheque - Prohibition on crediting proceeds to third party A/c.

a)In consonance with the legal requirements and in particular, the intent of the Negotiable Instruments Act, 1881 and with a view to protect the banks being burdened with liabilities arising out of unauthorized collections, and in the interest of the integrity and soundness of the payment and banking systems, and in order to prevent recurrence of deviations observed in the recent past, the Reserve Bank has considered it necessary to prohibit the banks from crediting 'account payee' cheque to the account of any person other than the payee named therein. Accordingly, banks were directed that they should not collect account payee cheques for any person other than the payee constituent.

Where the drawer/payee instructs the bank to credit the proceeds of collection to any account other than that of the payee, the instruction being contrary to the intended inherent character of the 'account payee' cheque, bank should ask the drawer/payee to have the cheque or the account payee mandate thereon withdrawn by the drawer. These instructions would also apply with respect to the cheque drawn by a bank payable to another bank.

- b) In order to facilitate collection of cheques from a payment system angle, account payee cheques deposited with the sub-member for credit to their customers' account can be collected by the member bank (referred to as the sponsor member) of the Clearing House. Under such arrangements, there should be clear undertaking to the effect that the proceeds of the account payee cheque will be credited to the payee's account only, upon realization.
- c) With a view to mitigate the difficulties faced by the members of co-operative credit societies in collection of account payee cheques, it is further clarified that collecting banks may consider collecting account payee cheques drawn for an amount not exceeding Rs. 50,000/- to the account of their customers who are co-operative credit societies, if the payees of such cheques are the constituents of such co-operative credit societies. While collecting the cheques as aforesaid, banks should have a clear representation in writing given by the co-operative credit societies

जहां तक संभव हो ,ऐसी आकस्मिक स्थितियों के दौरान ,ग्राहकों को होने वाली असुविधा और कठिनाई को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने चाहिए एवं साथ-में अच्छी ग्राहक सेवा भी बनाए रखें।

इस प्रकार ,जब कभी समाशोधन निलंबित हो जाए और यह आशंका हो कि निलंबन लंबे समय तक रह सकता है , तो जहाँ तक संभव हो, शाखाएं, उधारकर्ताओं एवं जमाकर्ताओं दोनों के खातों में वसूली के लिए जमा स्थानीय चेक, ड्राफ्ट आदि खरीदकर अस्थायी रूप से समायोजित कर सकती हैं। सरकारी विभागों/अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आहरित चेकों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए, साथ-साथ स्थानीय बैंकों पर आहरित डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। इस सुविधा को विस्तार देते हुए शाखाएं नि:संदेह अपनी साख, ईमानदारी, पिछला लेन देन और ग्राहकों के पेशे आदि बातों को ध्यान में रखेंगी ,तािक बाद में ऐसे लिखतों के अस्वीकृत होने की किसी भी संभावना को रोका जा सके। समाशोधन गृह परिचालन निलंबन के समय स्थानीय चेकों की खरीद सीमा क्रेडिट के मौजूदा प्रावधान के अनुसार अर्थात15000 / 25000 रुपये तक हो।

2.7. आदाता खाता चेक की वसूली - तीसरे पक्ष के खाते में आगम जमा करने की मनाही

क)विशेष रूप से ,परक्राम्य लिखत अधिनियम ,1881 के एवं कानूनी अपेक्षाओं के अनुरूप और बैंकों को अनिधकृत वसूली से होने वाली देनदारियों के बोझ को कम करने के लिए और बैंकिंग प्रणाली एवं भुगतान में ईमानदारी एवं पारदर्शिता लाने हेतु और हाल के दिनों में देखी गई असंगतियों या विचलन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ,रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपेक्षा की है कि वे खाते में नामित प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में 'आदाता खाता ' चेक जमा करने से रोकें। तदनुसार ,बैंकों को निर्देश दिया गया था कि वे आदाता ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक संगृहीत न करें।

जब आहरणकर्ता/आदाता बैंक को अनुदेश दें कि वह वसूली से प्राप्त आय को आदाता के खाते के अलावा किसी अन्य खाते में जमा करें, तो यह अनुदेश 'आदाता भुगतान' चेक' में निहित इरादों के विपरीत है, अतएव बैंक आहरणकर्ता/आदाता को पूछे कि वह आहरणकर्ता द्वारा आहरित चेक पर या आदाता खाते से राशि वापस ले लें। ये निर्देश किसी अन्य बैंक को देय बैंक द्वारा आहरित चेक के संबंध में भी लागू होंगे।

- ख) भुगतान सिस्टम के नजिए से चेक वसूली की सुविधा के लिए अपने ग्राहकों के खाते में जमा करने के लिए, उप-सदस्य के पास जमा आदाता चेक समाशोधन गृह के सदस्य बैंक (प्रायोजक सदस्य के रूप में संदर्भित) द्वारा संगृहीत किए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के तहत ,इस बावत स्पष्ट वचनबद्धता ले ली जाए कि आदाता चेक वसूली होने पर प्राप्त आगमों को केवल आदाता के खाते में ही जमा किया जाएगा।
- ग) सहकारी साख समितियों के सदस्यों को खाता आदाता (एकाउंट पेयी) चेकों के संग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के मद्देनजर ,यह स्पष्ट किया जाता है कि वसूली कर्ता बैंक खाते में रूपए 50,000-/तक की राशि के आहरित आदाता चेक खाते वसूली पर तभी विचार कर सकते हैं ,जहां ऐसे ग्राहक सहकारी ऋण समितियाँ हैं, बशर्ते कि ऐसे चेक के आदाता सहकारी ऋण समितियों के ग्राहक हों। पूर्वोक्त चेकों की वसूली करते समय ,बैंकों को संबंधित सहकारी ऋण समितियों द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट प्रतिनिधित्व लें तािक ,वसूली होने पर ,चेक की आय केवल उसी सहकारी ऋण सोसाइटी के सदस्य के खाते में जमा होगी, जो चेक में दर्ज आदाता का नाम हो।

concerned that, upon realization, the proceeds of the cheques will be credited only to the account of the member of the co-operative credit society who is the payee named in the cheque. This shall, however, be subject to the fulfilment of the requirements of the provisions of Negotiable Instruments Act, 1881, including Section 131 thereof.

d) The above instructions shall also extend to drafts, pay orders and bankers' cheque.

3. Time Frame for Collection of Local / Outstatlon Cheques / Instruments:

3.1 For Local Cheques/Instruments: Credit and Debit shall be given on the same day or at the most the next day of their presentation in clearing. (i.e., bank would give credit to the customer account on the day clearing settlement takes place. Withdrawal of amounts so credited would be permitted as per the cheque return schedule of the clearing house at the centre).

3.2 For Outstation Cheques/Instruments:

Cheques payable at GTS centres	Maximum period of 07 days
--------------------------------	---------------------------

The time frame for collection as shown above shall be treated as outer limit and credit shall be afforded if the process gets completed earlier.

4. Payment of Interest for delayed Collection of Cheques.

As part of the compensation policy of the bank, the bank will pay interest to its customer on the amount of collection instruments in case there is delay in giving credit beyond the time period mentioned above. Such interest shall be paid without any demand from customers in all type of accounts. There shall be no distinction between instruments drawn on the bank's own branches or on other bank for the purpose of payment of interest on delayed collection. In case of a delay in credit of proceeds of an instrument sent for collection to some other bank, and if any part of delay is attributable to the paying bank, the customer will be compensated by us and sharing of compensation with paying bank will be settled by us with them (IBA's communication No. CE/RB/bcsbi-mcp/6272 dated 17th July 2012).

4.1 Interest for delayed collection shall be paid at the following rates.

For Local Cheques: Compensation at Savings Bank interest rate shall be payable for the period of delay.

For Outstation Cheques: Savings Bank rate for the period of delay beyond 07/10/14 days as the case may be in collection of outstation cheques, i.e., from 08th/11th/15th day, the interest will be payable.

Where the delay is beyond 14 days after the time frame for collection of outstation instruments (07/10/14- days as the case may be in collection of outstation cheques) interest will be paid at the rate applicable for term deposit for the respective period.

हालाँकि ,यह परक्राम्य लिखत अधिनियम ,1881 की धारा 131 में दिए गए प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन होगा।

- घ) उपरोक्त अनुदेश ड्राफ्ट ,पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी लागू होंगे।
- 3. स्थानीय/ बाहरी चेकों/ लिखतों के वसूली हेतु समय सीमा:
- 3. 1 स्थानीय चेक/लिखतों के लिए: जमा और नामे उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा समाशोधन में जमा होने के अगले दिन कर दिया जाएगा। (अर्थात ,बैंक ग्राहक के खाते में उसी दिन जमा करेगा जिस दिन समाशोधन निपटान होगा। इस तरह जमा राशि के आहरण की अनुमित केंद्रीय समाशोधन गृह की चेक वापसी अनुसूची के अनुसार दी जाएगी)।

3. 2 बाहरी चेक/लिखतों के लिए:

जीटीएस केंद्रों पर देय चेक	07 दिनों की अधिकतम अवधि

उपरोक्त वसूली की समय सीमा को अधिकतम सीमा के रूप में माना जाएगा और यदि यह प्रक्रिया पहले पूरी हो जाए तो संबंधित क्रेडिट पहले भी दे दिया जाएगा।

4. चेकों की विलंबित वसूली के लिए ब्याज का भुगतान।

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के भाग के अनुरूप, क्रेडिट देने में उल्लिखित समय अवधि से अधिक देरी होने पर बैंक संगृहीत लिखतों की राशि पर ब्याज का भुगतान अपने ग्राहक को करेगा। सभी प्रकार के खातों में ऐसे ब्याज का भुगतान ग्राहकों से बिना किसी मांग के किया जाएगा। विलंबित वसूली पर ब्याज भुगतान के प्रयोजनार्थ बैंक अपनी शाखाओं पर आहरित या अन्य बैंक पर आहरित लिखतों में कोई अंतर नहीं करेगा। विलंबित वसूली पर ब्याज भुगतान के प्रयोजनार्थ किसी अन्य बैंक में उगाही के लिए भेजे गए लिखत के आगमों के क्रेडिट में देरी होने पर ,और यदि देरी के लिए भुगतान करने वाला बैंक जिम्मेदार है ,तो ग्राहक को हमारे द्वारा मुआवजा दिया जाएगा और भुगतान करने वाले बैंक के साथ मुआवजे का निपटान आईबीए के परिपन्न संवाद संख्या सीई/आरबी/बीसीएसबीआई-एमसीपी/6272 दिनांक 17 जुलाई, 2012 के अनुसार किया जाएगा।

4.4. 1 विलंबित उगाही के लिए ब्याज का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा।

स्थानीय चेक के लिए : विलंबित अविध के लिए मुआवजे के रूप में बचत बैंक पर ब्याज दर देय होगी। बाहरी चेकों के लिए : 07/10/14 दिनों से अधिक की विलंबित अविध के लिए बाहरी चेक वसूली पर बचत बैंक दर ,यानी $08^{\frac{1}{4}}/11^{\frac{1}{4}}/15^{\frac{1}{4}}$ दिन से, ब्याज देय होगा।

जहां बाहरी लिखतों की उगाही के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद 14 दिनों (बाहरी चेक की उगाही में 07/10/14- दिन) से अधिक की देरी हो, तो संबंधित अविध के लिए साविध जमा के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

असाधारण देरी के मामले में, यानी बाहरी लिखतों की वसूली के लिए समय सीमा (07/10/14 - दिन) के बाद 90 दिनों से अधिक की देरी वाले मामले में, संबंधित सावधि जमा दरों आदि पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

In case of extraordinary delay, i.e. delays exceeding 90 days after the time frame (07/10/14 - days) as the case may be) for collection of outstation instruments interest will be paid at the rate of 2% above the corresponding Term Deposit rate.

In the event the proceeds of cheque under collection are to be credited to an overdraft/loan account of the customer, the bank would consider value-dating the proceeds keeping normal period required for collection in mind.

In case of local cheques (clearing), bank shall permit usage of the shadow credit afforded to the customers' account immediately after closure of relative return clearing and in any case, withdrawal shall be allowed on the same day or maximum within an hour of the commencement of business on the next working day, subject to usual safeguards.

In case of delay in realization of local cheques, compensation at savings bank rate shall be paid for the corresponding period of delay (RBI's communication No. RBI /201213/165DPSS. CO.CHD. No.284/03. 06.03/2012-13 dated 13th August 2012).

It may be noted that interest payment as given above would be applicable only for instruments sent for collection within India and will be paid without demand by the customer concerned.

4.2 Delay In re-presentation of technically returned cheques and levy of charges for such return.

RBI has informed that instances have been brought to their notice that banks are (i) Levying cheque return charges even in cases where customers are not at fault in such returns (ii)Delaying the re-presentation of the cheques which had been returned by the paying banks under technical reasons. Both of these issues result in unsatisfactory customer service.

Accordingly, it has been decided by the Bank to adhere to the following instructions:

- a) Cheque return charges shall be levied only in cases where the customer is at fault and is responsible for such returns. The illustrative, but not exhaustive, list of returns, where the customers are not at fault are indicated in Annexure I.
- b) Cheque that needs to be re-presented without any recourse to the payee, shall be made in the immediate next presentation clearing not later than 24 hours (Excluding holidays) with due notification to the customers of such representation through SMS alert, e-mail etc.

5. Cheques/Instruments lost in transit/in clearing process or at paying bank's branch.

In the event of a cheque or an instrument accepted for collection is lost in transit or in the clearing process or at the paying bank's branch, the bank shall immediately on coming to know of the loss, bring the same to the notice of the account holder so that the account holder can inform the drawer to record stop payment and also take care that cheques, if any, issued by him are not dishonoured due to non-credit of the यदि वसूली के तहत चेक आगम ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा किए गए हों ,तो बैंक वसूली के लिए अपेक्षित सामान्य अवधि को ध्यान में रखते हुए आगमों पर कीमत की तिथि (वैल्यू डेटिंग) पर विचार करेगा।

स्थानीय चेक के मामले में (समाशोधन), बैंक संबंधित वापसी समाशोधन समापन के तुरंत बाद ग्राहकों के खाते में दर्ज किल्पत क्रेडिट उपयोग की अनुमित देगा और ,िनकासी की अनुमित उसी दिन या सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन, अगले कार्य दिवस पर कारोबार शुरू होने के अधिकतम एक घंटे के भीतर दे दी जाएगी ।

स्थानीय चेक वसूली में देरी होने पर देरी की इस अवधि के लिए बचत बैंक दर पर मुआवजे का भुगतान किया जाएगा (आरबीआई की परिपत्र संख्या आरबीआई/201213/165 डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी सं.284/03.06.03/2012-13 दिनांक 13 अगस्त 2012)।

यह ध्यान रखा जाए कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान केवल <u>भारत के भीतर उगाही</u> के लिए भेजे गए लिखतों पर लागू होगा और संबंधित ग्राहक द्वारा बिना मांगे भुगतान किया जाएगा।

4.2 तकनीकी रूप से लौटाए गए चेकों को पुन :प्रस्तुत करने में विलम्ब और ऐसी वापसी के लिए प्रभार लगाना/

आरबीआई ने सूचित किया है कि उनके संज्ञान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं कि बैंक (i) ऐसे मामलों में भी चेक वापसी शुल्क लगा रहे हैं ,जहां ग्राहक की कोई गलती नहीं है। (ii) तकनीकी कारणों से भुगतानकर्ता बैंक द्वारा लौटाए गए चेक की पुन :प्रस्तुति में देरी की जा रही है। इन दोनों वजहों के परिणामस्वरूप ग्राहक सेवा असंतोषजनक हुई है।

तदनुसार ,बैंक द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया गया है:

- क) चेक वापसी शुल्क केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और ग्राहक ऐसी वापसी के लिए जिम्मेदार हो। ये दृष्टांत भर है, संपूर्ण नहीं, वापसी की सूची जहां ग्राहक की गलती नहीं हैं ,अनुबंध I में दर्शाया गई हैं।
- ख) ऐसे चेक, जिसे बिना किसी आश्रय के आदाता को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है , उसे 24 घंटे के भीतर तत्काल पुन :प्रस्तुत करना होगा। (छुट्टियों को छोड़कर) इस तरह की पुन: प्रस्तुति की जानकारी एसएमएस अलर्ट, ई मेल आदि के जिरए ग्राहकों को दी जाएगी।

5. मार्ग में/समशोधन प्रक्रिया या भुगतानकर्ता शाखा में चेक/लिखत खोने पर

समाहरण के लिए स्वीकृत चेक/लिखत का मार्ग में/ समाशोधन प्रक्रिया/भुगतानकर्ता शाखा द्वारा खो जाने की स्थित में, बैंक को जैसे ही खोने की जानकारी प्राप्त होगी, वह खाताधारक को इसकी सूचना शीघ्र प्रदान करेगा ताकि खाताधारक आहर्ता को भुगतान रोकने के सम्बंध में सूचना प्रदान कर सके और यह भी सुनिश्चित कर सके कि उसके द्वारा जारी कोई चेक खोए गए चेक/लिखत की राशि का क्रेडिट नहीं होने के कारण अस्वीकृत न हो। बैंक चेक के आहर्ता से दूसरी लिखत प्राप्त करने के लिए ग्राहक को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा।

amount of the lost cheques/instruments. The bank would provide all assistance to the customer to obtain a duplicate instrument from the drawer of the cheque.

In line with the compensation policy of the bank, the bank will compensate the account holder in respect of instruments lost in transit in the following way:

- a) In case, intimation regarding loss of instrument is conveyed to the customer after the time limit stipulated for collection, interest will be paid for the period exceeding the stipulated collection period at the rates specified above.
- b) In addition, bank will pay interest on the amount of the cheque for a further period of 15 days at Savings Bank rate to provide for likely further delay in obtaining duplicate cheque/instrument and collection thereof.
- c) The bank would also compensate the customer for any reasonable charges he/she incurs for recording stop order and/or in getting duplicate cheque/instrument upon production of receipt, in the event the instrument is to be obtained from a bank / institution who would charge a fee for issue of duplicate instrument.
- d) The account holder must arrange to obtain a duplicate cheque/instrument within a maximum period of 14 days on receiving intimation from the Bank in respect of a cheque or an instrument lost in transit after it is discounted by the Bank. The amount of lost cheque, if already discounted by the bank and credited to the depositor's account, will be reversed in case the duplicate cheque / instrument is not arranged by the customer within the stipulated period of 14 days.
- e) The onus of such loss lies with the collecting banker and not the account holder.
- f) If the cheque / instrument has been lost at the paying branch, the collecting banker should have a right to recover the amount reimbursed to the customer for the loss of the cheque / instrument from the paying banker.

6. Procedure for return / dispatch of dishonoured cheques.

I. The paying bank should return dishonoured cheques presented through clearing houses strictly as per the return discipline prescribed for respective clearing house in terms of Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing Houses. The collecting bank on receipt of such dishonoured cheques should dispatch it immediately in any case within 24 hrs to the payees/holders.

II.In relation to cheques presented direct to the paying bank for settlement of transaction by way of transfer between two accounts with that bank, it should return such dishonoured cheques to payees / holders immediately.

III.Cheques dishonoured for want of funds in respect of all accounts should be returned along with a memo indicating therein the reason for dishonour as "insufficient funds."

IV. In case of dishonour/return of cheques, the paying banks should clearly indicate the return reason code on the return memo / objection slip which should also bear the signature/initial of the bank officials as prescribed in Rule 6 of the Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing Houses (URRBCH).

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के तहत बैंक मार्ग में लिखत के खो जाने के सम्बंध में निम्नलिखित तरीकों से खाता धारक को क्षतिपूर्ति करेगा:

- क) अगर, लिखत खो जाने की सूचना ग्राहक को समाहरण के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद दी जाती है तो, निर्धारित समय सीमा से अधिक की अविध के लिए ब्याज का भुगतान उपरोक्त दर के अनुसार किया जाएगा।
- ख) इसके अतिरिक्त, बैंक चेक की राशि पर 15 दिनों की अतिरिक्त अविध के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज प्रदान करेगा। यह ब्याज दूसरी चेक/लिखत प्राप्त करने में होने वाली देरी के लिए प्रदान की जाएगी।
- ग) रोको आदेश दर्ज कराने या दूसरी लिखत/चेक प्राप्त करने के लिए देय शुल्क, अगर यह लिखत किसी बैंक या संस्था से प्राप्त करनी है जो दूसरी लिखत जारी करने के लिए शुल्क लेता है तो इसमें हुए उचित खर्चों की क्षतिपूर्ति बैंक द्वारा रसीद प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी।
- घ) मार्ग में चेक खोने या बैंक द्वारा भुनाने के पश्चात खोने की सूचना प्राप्त होने के बाद खाता धारक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर दूसरी चेक/लिखत प्राप्त करने की व्यवस्था करनी होगी है। खोए हुए चेक की राशि को वापस ले लिया जाएगा;, अगर यह पहले ही बैंक द्वारा भुनाई गई है और खाताधारक के खाते में जमा की गई है अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर दूसरी चेक/लिखत की व्यवस्था ग्राहक द्वारा नहीं की जाती है।
- ङ) इस प्रकार की क्षति का दायित्व वसूलीकर्ता बैंक पर होगा न कि खाता धारक पर।
- च) अगर चेक/लिखत भुगतानकर्ता शाखा द्वारा खो दी जाती है तो, वसूलीकर्ता बैंकर को यह अधिकार होगा कि चेक/लिखत के खो जाने पर ग्राहक को दी गई क्षतिपूर्ति राशि को वह भुगतानकर्ता बैंक से वसूल करेगा।

6. अस्वीकृत चेक को वापस भेजने/ प्रेषित करने की प्रक्रिया

- I. भुगतानकर्ता बैंक समाशोधन गृहों द्वारा प्रस्तुत चेकों की वापसी उपरोक्त समाशोधन गृह के निए निर्धारित नियम बद्धता का पालन करते हुए करेगी; जो बैंकर समाशोधन गृह के लिए एक समान विनियम और नियमों की शर्तों के अनुसार है। वसूलीकर्ता बैंक को इस प्रकार के अस्वीकृत चेक प्राप्त होने पर वह किसी भी परिस्थित में 24 घंटे के अंदर आदाता/धारक को भेजेगा।
- II. अंतरण द्वारा दो खातों के बीच उसी बैंक में लेनदेन निपटान के लिए अगर चेक सीधे भुगतानकर्ता बैंक को प्रस्तुत की गई है तो, ऐसे अस्वीकृत चेक को शीघ्र ही आदाता/धारक को वापस करना होगा।
- III. सभी खातों के सम्बंध में राशि की कमी के कारण अस्वीकृत हुई चेक की वापसी पर्ची सहित करनी है जिसमें वापसी का कारण "अपर्याप्त राशि" का वर्णन होगा।
- IV. बैंक समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम और नियम के नियम 6 के तहत चेक की अस्वीकृति या वापसी के मामले में, भुगतानकर्ता बैंक को वापसी पर्ची/आपत्ति पर्ची पर स्पष्ट रूप से वापसी का कारण वर्णित करना होगा जिसपर बैंक अधिकारियों का हस्ताक्षर/लघु-हस्ताक्षर अंकित होगा।

6.1 Information on dishonoured cheques.

Data in respect of each dishonoured cheque for amount of Rs.1 crore and above should be made part of bank's MIS on constituents and branches concerned shall report such data to their respective zonal office on a monthly basis and in turn zonal office will consolidate and submit the same to Head Office, Finance Department. Data in respect of cheques drawn in favour of stock exchanges and dishonoured should be consolidated separately by branch irrespective of the value of such cheques as a part of their MIS relating to broker entities, and be reported to their respective zonal office on a monthly basis. Zonal Office in turn will consolidate and submit this information to Head Office, Finance Department every month.

6.2 Dealing with incidence of frequent dishonour.

a) With a view to enforce financial discipline among the customers, a condition for operation of accounts with cheque facility, should be made that in the event of dishonour of a cheque valuing Rupees one crore and above drawn on a particular account of the drawer on four occasions during the financial year for want of sufficient funds in the account, no fresh cheque book would be issued. Also, the Bank shall close the account at its discretion after giving due notice to the customer. However, in respect of advances accounts such as cash credit account, overdraft account, the need for continuance or otherwise of these credit facilities and the cheque facility relating to these accounts shall be reviewed by appropriate authority higher than the sanctioning authority.

For cheques amounting to less than Rs.1 crore; bank shall give one more chance i.e. five occasions of the incidents of dishonour of cheque in a financial year due to insufficient fund under Intimation to the drawer/account holder and shall follow the same procedure thereafter as mentioned hereinabove.

- b) For the purposes of introduction of the condition mentioned at (a) above in relation to operation of the existing accounts, branch may, affix a rubber stamp on the cover of the cheque book advising the constituents of the new condition at the time of issuing new cheque book.
- c) If a cheque is dishonoured for a third time on a particular account of the drawer during the financial year, branch shall issue a cautionary advice/letter to the constituent concerned drawing his/her attention to aforesaid condition and consequential stoppage of cheque facility in the event of cheque being dishonoured on fourth occasion for cheque of Rs. 1 crore & above and fifth occasion for cheques of less than Rs.1 crore on the same account during the financial year. Similar cautionary advice/letter may be issued if the bank intends to close the account.

7. Payment of Cheques/Drafts/Pay Orders/Banker's Cheques beyond three months from the date of Issue.

With effect from April 1, 2012, Bank has adopted a policy of not to make payment of cheques/drafts/pay orders/banker's cheques bearing that date or any subsequent date, if they are presented beyond the period of three months from the date of such instrument.

6.1 अस्वीकृत चेकों की सूचना

रु 1.00 करोड़ और इससे अधिक राशि के अस्वीकृत चेक का डेटा बैंक के एमआईएस का हिस्सा होना चाहिए। संबंधित शाखाएं मासिक आधार पर अपने अंचल कार्यालय को इस प्रकार का डेटा रिपोर्ट करेंगी और अंचल कार्यालय इसे समेकित कर वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। शाखा शेयर बाजार के नामे आहरित और अस्वीकृत चेक को अलग से समेकित करेगी चाहे उसकी राशि कुछ भी हो। यह ब्रोकर इकाई से संबंधित एमआईएस का हिस्सा होगा और इसे अपने अंचल कार्यालय को मासिक आधार पर रिपोर्ट करना है। अंचल कार्यालय मासिक आधार पर इसे समेकित करके वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

6.2 बारंबार अस्वीकृति की घटना के साथ आचरण

क. ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लाने के उद्देश्य से चेक सुविधा के साथ खातों के परिचालन के लिए एक नियम बनाना चाहिए कि वित्तीय वर्ष में किसी एक खाते से आहरित एक करोड़ या इससे अधिक राशि का चेक पर्याप्त राशि के अभाव में चार बार अस्वीकृत होने पर, कोई भी चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। ग्राहको को पूर्व नोटिस देकर बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे खातों को बंद कर सकता है। हालांकि, अग्रिम खाते यथा नकदी क्रेडिट खाता, ओवरड्राफ्ट खातों के मामले में क्रेडिट सुविधा और इसके साथ चेक बुक सुविधा को बनाए रखने के लिए इन खातों की समीक्षा उचित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो मंजूरी प्राधिकारी से ऊपरी स्तर के अधिकारी होंगे।

एक करोड़ से कम राशि के चेक के मामले में शाखा एक और मौका देगी, अर्थात अपर्याप्त राशि के अभाव में किसी वित्तीय वर्ष में पांच बार चेक अस्वीकृति की घटना की अनुमित देगा। इसकी सूचना आहर्ता/खाता धारक को दी जाएगी और इसके बाद अस्वीकृति की घटना होने पर बैंक उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करेगा।

ख. उपरोक्त (ए) में वर्णित शर्तों को शुरु करने के उद्देश्य से वर्तमान खाते में परिचालन के उद्देश्य से, शाखा चेक बुक के कवर पेज पर एक रबड़ स्टाम्प लगाएगा। इसमें नए चेक जारी करते समय ग्राहको को लागू होने वाली नई शर्तों का वर्णन होगा।

ग. वित्तीय वर्ष में आहर्ता के किसी खाते से कोई चेक तीसरी बार अस्वीकृत होने पर शाखा संबंधित ग्राहक को एहितयाती सूचना/पत्र जारी करेगी। इसमें उनका ध्यान उपरोक्त शर्तों और तत्पश्चात चेक बुक सुविधा को रोकने की ओर आकृष्ट किया जाएगा। वितीय वर्ष में किसी खाते से 1 करोड़ या इससे अधिक की राशि के लिए चौथी बार चेक अस्वीकृत होने पर तथा 1 करोड़ से कम राशि के लिए पांचवी बार चेक अस्वीकृत होने पर अगर बैंक खाते को बंद करना चाहता है तो इसी प्रकार का एहितयाती सूचना/पत्र जारी किया जाएगा।

7. जारी करने की तिथि के तीन महीने बाद चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेक का भुगतान

1 अप्रैल 2012 से बैंक ने एक ऐसी नीति अपनाई है जिसके तहत चेक/ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेक का भुगतान लिखत जारी करने की तिथि से तीन महिने बाद प्रस्तुत करने पर नहीं किया जाएगा। शाखा को चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर चेक के पन्नो पर उचित अनुदेश प्रिंट करके या स्टाम्प लगाकर इस प्रकार के लिखत धारक को लिखत की तिथि से तीन महिने के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है।

Branches should ensure strict compliance of these directions by printing or stamping on the cheque leaves, drafts; pay orders and banker's cheques a suitable instruction to the holders of such instruments for presentment within the period of three months from the date of the instrument.

8. Cheque Clearing under CIS Grids -

Responsibility of collecting Banker Branches to note the amendment of Sec. 131 of N.I. Act 1881, Explanation-II which reads as, "It shall be the duty of the banker who receives payment based on an electronic Image of a truncated cheque held with him, to verify the prima facie genuineness of the cheque to be truncated and any fraud, forgery or tampering apparent on the face of the instrument that can be verified with due diligence and ordinary care".

9. General:

For the purpose of adducing evidence to prove the fact of dishonour of cheque on behalf of a complainant (i.e. payee / holder of a dishonoured cheque) in any proceeding relating to dishonoured cheque before a court, consumer forum or any other competent authority, bank shall extend full cooperation, and furnish him/her documentary proof of fact of dishonor of cheques.

10. Customer Grievance Redressal

Customer grievances on time frame of collection, compensation by additional interest on delay in collection, cheques/ instruments lost in transit, etc. will be redressed as per the policy.

11. Force Majeure

The bank shall not be liable to compensate customers for delayed credit if some unforeseen event (including but not limited to civil commotion, sabotage, lockout, strike or other labour disturbances, accident, fires, natural disasters or other "Acts of God", war, damage to the bank's facilities or of its correspondent bank(s), absence of the usual means of communication or transportation, etc.) beyond the control of the bank prevents it from performing its obligations within the specified service delivery parameters.

12. Service Charges

For all collection services the branches will recover appropriate service charges as decided by the bank from time to time and communicated to customer, displayed on Bank's website.

13. Incorporation of Name of the Purchaser on the face of the Demand Draft.

The name of the purchaser shall be incorporated on the face of the demand draft, pay order, banker's cheques, etc., by the issuing bank.

14. Miscellaneous.

i. Branches shall not decline to accept outstation cheques deposited by its customers for collection.

8. सीआईएस ग्रिड के अंतर्गत चेक समाशोधन –

वसूलीकर्ता बैंक शाखाओं को एनआई अधिनियम 1881 के खंड 131 में संशोधन के स्पष्टीकरण -II को नोट करना है जो इस प्रकार है; यह उस बैंकर का कर्तव्य होगा जो अपने पास धारित ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रोनिक छिव के आधार पर भुगतान प्राप्त करता है कि वह ट्रंकेट की जाने वाली चेक की सत्यता प्रथम दृष्टया सत्यापित करे तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जालसाजी या लिखत के ऊपर स्पष्ट विकृति का सत्यापन सम्यक रूप से साधारण देख-रेख में करे।

सामान्य:

न्यायालय, उपभोक्ता मंच या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष चेक अस्वीकृति से संबंधित किसी भी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (आदाता/अस्वीकृत चेक का धारक) की ओर से चेक अस्वीकृति की सत्यता साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बैंक पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और उसे चेक अस्वीकृति के तथ्य का दस्तावेजी सबूत प्रदान करेगा।

10. ग्राहक शिकायत निपटान

वसूले के लिए निर्धारित समय सीमा, वसूली होने में विलंब होने पर अतिरिक्त ब्याज देकर क्षतिपूर्ति, मार्ग में चेक/लिखत के खो जाने पर इत्यादि का निपटारा नीति के तहत किया जाएगा।

11. अप्रत्याशित घटना

कोई अनपेक्षित घटना (जिसमें शामिल है पर पूर्ण नहीं; असैनिक गितरोध, तोड-फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या मजदूर संबंधी अन्य उपद्रव, दुर्घटना, आगजनी, आपदा या अन्य दैविक आपदा, युद्ध, बैंक सुविधा या इसके अभिकर्ता बैंक की क्षिति, यातायात के सामान्य साधनों की अनुपस्थिति इत्यादि) जो बैंक के नियंत्रण में नहीं है और यह वर्गीकृत सेवा सुपुर्दगी मानदंड के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करने में बाधक है तो बैंक देरी से होने वाले क्रेडिट के लिए ग्राहक को क्षितपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।

12. सेवा प्रभार

सभी प्रकार के समाहरण/वसूली सेवा के लिए शाखाएं बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और ग्राहकों को सूचित और वेबसाइट पर प्रदर्शित उचित सेवा प्रभार वसूल करेगी।

13. डीमांड ड्राफ्ट के सामने के भाग पर खरीदार का नाम लिखना

जारीकर्ता बैंक के द्वारा खरीदार का नाम डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर चेक इत्यादि पर लिखत के सामने वाले भाग पर लिखा जाएगा।

14. विविध

i. शाखाएं ग्राहकों द्वारा समाहरण के लिए जमा की गई बाहरी चेकों को स्वीकार करने से इंकार नहीं करेगी।

- ii. Branches shall give wide publicity to the Cheque Collection Policy (CCP) by prominently displaying salient features thereof in bold and visible letters on the notice board at their branches.
- iii. A copy of the complete CCP shall be made available by the Branch Manager, if the customer requires so.
- iv. Cheques which are deposited with wrong account number mentioned on the Payin-slip, branches will return such cheques to the customers on the address mentioned within 48 working hours. However, in cases with incomplete address, incomplete phone no., no phone number mentioned on the Pay-instip, the branch will be responsible to keep these instruments for a maximum period of 3 months.

V.Cheques received back unpaid will be returned by post/ courier etc. to the customer within 48 working hours on the address recorded in Bank's database. However, these will be kept in the branches for returning to the customer over the counter if he/she makes a request for the same. If not collected by the customer within 15 days branches to send them back at the recorded address by post or courier.

vi. Cheque related fraud cases - preventive measures: -

Branches/Offices are to ensure that all procedural guidelines including preventive measures are followed meticulously by the dealing staff/officials while presenting the cheques in clearing, passing the cheques during the course of Banking, A/c monitoring etc.

- Ensuring the use of 100 % CTS-2010 compliant cheques.
- Strengthening the Infrastructure of service branches for proper handling of cheques at their end bestowing special attention on the quality of equipment and personnel posted for CTS based clearing, so that it is not merely a mechanical process.
- Ensuring that the beneficiary is KYC compliant so that the bank has recourse to him/her as long as he/she remains a customer of the bank.
- Examination under UV lamp for all cheques beyond Rs. 1 lakh.
- Checking of multiple levels, of cheques above Rs.3 lakh (Checking of such cheques should be done at more than one level).
- •Close monitoring of credits and debits in newly opened accounts based on risk categorization.
- Sending an SMS alert to payer/drawer when cheques are received in clearing.
- •For collection of cheques of above Rs 25,000/- in newly opened accounts and Rs.1 ,00,000/- in the existing accounts KYC compliance to be ensured in writing from the Base Branch.
- Dealing with suspicious or large value cheques Contacting base branch in case of non-home cheques and alerting the customer by a phone call and getting the confirmation from the payer/drawer.
- •Due care and secure handling of cheques to be ensured during the movement of cheques and also cheques dropped in the collection boxes by customers.

ii. शाखाएं चेक समाहरण नीति (सीसीपी) का वृहद प्रचार करेगी। इसके लिए शाखा को अपने सूचना पट्ट पर इससे संबंधित मुख्य बातों को मोटे और स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करना चाहिए।

iii. ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर सीसीपी की एक पूर्ण प्रति शाखा प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. वैसे चेक जो भुगतान पर्ची में गलत खाता संख्या के साथ जमा की जाती है उनको शाखा 48 कार्य घंटे के अंदर पर्ची में लिखे पते पर ग्राहक को वापस करेगी। हालांकि, अपूर्ण लिखे गए पते, अपूर्ण फोन नम्बर, भुगतान पर्ची पर कोई फोन नम्बर न लिखा होने की स्थिति में शाखा अधिकतम 3 महिने तक ऐसे लिखत को रखने के लिए जिम्मेवार होगी।

V. अदत्त प्राप्त चेक को 48 घंटे के अंदर बैंक के डेटाबेस में दर्ज पते पर डाक/कुरियर के द्वारा ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, ग्राहक के अनुरोध करने पर इसे काउंटर पर वापस करने के लिए लिखत को शाखा में रखा जाएगा। अगर 15 दिनों की भीतर इसका संग्रहण नहीं किया जाता है तो इसे दर्ज पते पर डाक या कुरियर के माध्यम से वापस भेजना है।

vi. चेक से संबंधित धोखाधड़ी मामले – निवारक उपाय

शाखाओं/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि समाशोधन के लिए चेक प्रस्तुतीकरण, बैंकिंग करने के समय चेक पास करना, खाते की निगरानी इत्यादि करते समय प्रक्रिया संबंधी सभी दिशा निर्देशों सहित निवारक उपायों का अनुपालन उन्हे डील करने वाले स्टाफ/अधिकारी कर रहे हैं।

- सीटीएस-2010 अनुपालित चेक का 100% उपयोग सुनिश्चित करना है।
- सम्यक रूप से चेक संचालन के लिए सेवा शाखाओं में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करना है। इसके लिए उपस्कर और सीटीएस आधारित समाशोधन के लिए तैनात कार्मिकों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है; ताकि यह सिर्फ एक अभियांत्रिक प्रक्रिया न रह जाए।
- यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थी केवाईसी अनुपालित है ताकि जब तक वह बैंक का ग्राहक है बैंक को उस पर अवलम्ब बना रहे।
- रु 1 लाख से अधिक के चेक की जांच यूवी लैम्प से करना है।
- रु 3 लाख से अधिक के चेक के लिए कई स्तर पर जांच करना (इस प्रकार के चेक की जांच एक से अधिक स्तर पर करना है)।
- जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए खोले गए खाते में क्रेडिट और डेबित की सूक्ष्म निगरानी
- समाशोधन में प्राप्त चेक के लिए भुगतानकर्ता/आहर्ता को एसएमएस सूचना भेजना
- नए खोले गए खाते में रु 25,000/- से अधिक के चेक का समाहरण तथा पुराने केवाईसी अनुपालित खाते में रु 1 लाख से अधिक के चेक का समाहरण लिखित सूचना पर मूल शाखा से सुनिश्चित करनी है।
- संदिग्ध और अधिक राशि के चेक का लेन-देन- बाहरी चेक के लिए मूल शाखा से संपर्क और ग्राहक को फोन करके सूचना देना और भुगतानकर्ता/आहर्ता से पृष्टि प्राप्त करना।
- चेक संचलन के दौरान और ग्राहक द्वारा समाहरण बक्से में डाले गए चेक के लिए भी चेक का सावधानीपूर्वक और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है।

15. OTHER POLICY RELATED ISSUES [General]

a.Policies laid down in this document shall be modified to give effect to any mandatory directives of the RBI or any policy change advised by the Government of India in this regard. The Board shall be kept apprised of such changes.

b.Any deviation / exemption from the norms mentioned in this policy shall be permitted by the competent authority only and competent authority in the context of this policy shall be the MD & CEO/ Executive Director.

c.If any question arises regarding the application and / or interpretation of the policy / directives, a reference shall be made to the MD & CEO /Executive Director for clarification and the referred matter will be dealt with in accordance with his decision.

d.If any situation or problem arises which has not been covered by these policy / directives a reference shall be made to the MD & CEO / Executive Director and the situation / problem will be dealt with in accordance with his decision.

e. If the application of this policy/directives to a particular situation apparently leads to the defeat of the purpose and spirit thereof, the matter shall be referred to the MD & CEO /Executive Director and the referred matter will be dealt with in accordance with their decision.

15. अन्य नीतिगत मामले (सामान्य)

a. आरबीआई का कोई अनिवार्य निर्देश या इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्देशित किसी नीति को शामिल करने के लिए प्रलेख में दी गई नीतियों को संशोधित किया जा सकता है। इस प्रकार के बदलाव से बोर्ड को अवगत कराया जाएगा।

b. इस नीति में वर्णित नियमों में किसी प्रकार का विचलन/छूट केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमित से दी जाएगी। इस नीति के संबंध में एमडी और सीईओ/कार्यपालक निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं।

- c. अगर नीति की प्रयोजनीयता या व्याख्या या निर्देशों से संबंधित कोई प्रश्न सामने आता है तो, स्पष्टीकरण के लिए इसे एमडी और सीईओ /कार्यपालक निदेशक के पास भेजा जाएगा और भेजे गए मामले का निपटारा उनके निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
- d. अगर कोई ऐसी स्थिति या समस्या आती है जिसके बारे में इस नीति/निर्देशों में कुछ नहीं बताया गया है तो, इसे एमडी और सीईओ /कार्यपालक निदेशक के पास भेजा जाएगा और भेजे गए मामले का निपटारा उनके निर्णय के अनुसार किया जाएगा।
- e. अगर किसी विशेष परिस्थिति में इस नीति/निर्देशों की प्रयोजनीयता इसके विचारधारा या उद्देश्यों की पूर्ति करने में विफल होती है तो, इसे एमडी और सीईओ /कार्यपालक निदेशक के पास भेजा जाएगा और भेजे गए मामले का निपटारा उनके निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

अनुबंध/Annexure- 1

आपत्तियों की सूची जो उदाहरण स्वरूप लेकिन परिपूर्ण नहीं है, जहां ग्राहक की गलती नहीं है (लिखत और छिव आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू, जैसा कि बैंकर समाशोधन गृह के लिए एक समान विनियम और नियम और शर्तें अनुबंध-डी में वर्णित है)

Illustrative but not exhaustive list of objections where customers are not at fault (Applicable for instrument and image-based Cheque Clearing as detailed in Annexure-D to Uniform Regulations and Rules for Bankers' Clearing House)

कोड संख्या/Code No	वापसी का कारण/ Reason for Return
33	लिखत कटा-फटा हो; बैंक की गारंटी आवश्यक है
	Instrument mutilated; requires bank's
	guarantee
35	समाशोधन गृह का स्टाम्प/दिनांक आवश्यक है
	Clearing House stamp/date required
36	भूलवश प्राप्त/हमें आहरित नहीं
	Wrongly delivered/not drawn to us
37	उचित जोन में प्रस्तुत करें Present in proper zone
38	लिखत में असंगत बातें शामिल है
	Instrument contains extraneous matter
39	छवि स्पष्ट नहीं है; पेपर के साथ दोबारा प्रस्तुत करें
	Image not clear; present again with paper
40	प्रलेख के साथ प्रस्तुत करें Present with document
41	मद दो बार सूचीबद्ध की गई Item listed twice
42	पेपर प्राप्त नहीं हुआ Paper not received
60	दो बैंकों को रेखित की गई Crossed to two banks
61	रेखन मुहर को रद्द नहीं किया गया
	Crossing stamp not cancelled
62	समाशोधन मुहर को रद्द नहीं किया गया
	Clearing stamp not cancelled
63	लिखत विशेष रूप से अन्य बैंक को रेखित की गई है
	Instrument specially crossed to another bank
67	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित है/ वसूलीकर्ता बैंक की
	पुष्टि आवश्यक है
	Payee's endorsement irregular /requires
	collecting bank's confirmation
68	निशान/अंगुठे की छाप से पृष्ठांकन को मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर
	सहित सत्यापित करने की आवश्यकता है
	Endorsement by mark/thumb impression

	requires attestation by Magistrate with seal
70	सूचना नहीं प्राप्त हुई Advice not received
71	सूचना में राशि और नाम में अंतर है
	Amount/Name differs on advice
72	प्रायोजक बैंक के साथ अदाकर्ता बैंक की निधि अपर्याप्त
	है (उप सदस्य को लागू)
	Drawee bank's fund with sponsor bank
	insufficient (applicable to sub members)
73	बैंक को आदाता का अलग से उन्मोचन आवश्यक है
	Payee's separate discharge to bank required
74	आगामी मास तक देय नहीं
	Not payable till 1 st proximo
75	भुगतान आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता है
	Pay-order requires counter signature
76	आवश्यक सूचना पठनीय/सही नहीं हौ
	Required information not legible/correct
80	बैंक का प्रमाणपत्र संदिग्ध/अपूर्ण/आवश्यक है
	Bank's certificate ambiguous/ incomplete/
0.1	required
81	ड्राफ्ट जारीकर्ता कार्यालय द्वारा खो गया; जारीकर्ता
	कार्यालय से पृष्टि की आवश्यकता है
	Draft lost by issuing office; confirmation
82	required from issuing office बैंक/शाखा अवरुद्ध है Bank/Branch blocked
83	डिजिटल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण विफलता
03	
84	Digital Certificate validation failure अन्य कारण- सम्बद्धता विफलता
	Other reasons-connectivity failure
87	'आदाता खाते में क्रेडिट किया' मुहर आवश्यक है
	'Payee's a/c credited'-Stamp required
92	बैंक अपवर्जित है Bank excluded